प्रेस विज्ञप्ति

10.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने **मेसर्स श्री राज महल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड** (एसआरएमजेपीएल) से संबंधित 94.18 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल/अचल संपत्तियां तथा इसकी समूह कंपनी **मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड** (जीजीपीएल) से संबंधित 13.43 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों का लाभकारी स्वामित्व अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता [प्रमोटरों /निदेशक] के पास है।

ईडी ने मेसर्स एसआरएमजेपीएल व मेसर्स जीजीपीएल तथा उनके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर के अनुसार, मेसर्स एसआरएमजेपीएल और मेसर्स जीजीपीएल, जो सोने और हीरे जड़े आभूषणों के विनिर्माण और व्यापार में लगे हुए हैं, ने बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के सहसंघ से क्रमशः 125 करोड़ रुपये और 45 करोड़ रुपये का ऋण लिया और उसके बाद बैंक को धोखा दिया। सीबीआई द्वारा मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों/प्रमोटरों के खिलाफ और समूह कंपनियों के खिलाफ भी बैंकों के साथ लगभग 232 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि उपर्युक्त संस्थाओं, उनके प्रमोटरों/निदेशकों ने बैंक ऋण राशि को उक्त संस्थाओं के व्यवसाय की अपेक्षा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जैसे कि व्यक्तिगत नामों से या डमी निदेशकों के माध्यम से उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियों के नाम पर अचल संपत्तियों/रियल एस्टेट में निवेश। बैंक ऋण में गिरवी रखे गए स्टाक भी शेल संस्थाओं को कथित बिक्री दिखाकर निकाल लिया गया ताकि वह बैंक के बकाए की वसूली के लिए ये उपलब्ध न हो सकें। शेल संस्थाओं पर जांच से पता चलता है कि या तो वे अस्तित्व में नहीं हैं या लेखा में दावा किए गए लेनदेन फर्जी हैं। कुछ संस्थाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रमोटरों के अनुरोध पर प्रविष्टियां प्रदान की थीं। उक्त कुछ शेल संस्थाएं मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों के रिश्तेदारों द्वारा संचालित की जाती हैं।

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि मेसर्स जीजीपीएल और मेसर्स एसआरएमजेपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों ने लगभग 100 कंपनियां/इकाइयां स्थापित की हैं, जिनका उपयोग मुख्य कंपनियों मेसर्स एसआरएमजेपीएल और इसकी समूह कंपनियों से धन के वितरण और अपयोजन के लिए किया गया।

ईडी ने पीएमएलए के तहत मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 18.01.2024 को दिल्ली के करोल बाग में वाणिज्यिक दुकानों के रूप में लगभग 4.34 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही कुर्क कर ली है । ईडी ने 11-04-2023 और 07-05-2024 को तलाशी अभियान चलाए थे। जिसमें अपराध-संकेती रिकॉर्ड, हाई एंड लग्जरी कारें (बीएमडब्ल्यू/ मर्सिडीज) आदि जब्त किए थे।

आगे की जांच जारी है।